पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2014 से प्रमुख उपलब्धियां

I. पूर्वोत्तेर में सुरक्षा स्थिति :

- वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है। पिछले दो दशकों के दौरान वर्ष 2020 में सबसे कम विद्रोह की घटनाएं दर्ज की गई। वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2021 में विद्रोह की घटनाओं में 75% की कमी आई है। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान, सुरक्षा बलों की मृत्यु की संख्या में 60% और नागरिकों की मृत्यु में 89% की कमी आई।

- 2014 के बाद से समग्र रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिंसा की प्रोफाइल नीचे दी गई है -

वर्ष	घटनाएं	मारे गए उग्रवादी	गिरफ्तार किए गए उग्रवादी	मारे गए सुरक्षा बल	मारे गए नागरिक	आत्म समर्पण करने वाले उग्रवादी	समर्पित हथियार	बरामद किए गए हथियार	अपहृत किए गए व्यक्ति
2014	824	181	1934	20	212	291	151	1104	369
2015	574	149	1900	46	46	143	69	828	267
2016	484	87	1202	17	48	267	93	605	168
2017	308	57	995	12	37	130	27	405	102
2018	252	34	804	14	23	161	58	420	117
2019	223	12	936	04	21	158	67	312	108
2020	163	21	646	05	03	2,696	445	466	69
2021	209	40	686	08	23	1,473	471	367	94

- मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य सामान्यत: शांतिपूर्ण हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों की सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

- गुवाहाटी में दिनांक 23.01.2020 को आयोजित एक समर्पण समारोह में विभिन्न संगठनों के 644 कैडर (ULFA/I -50, NDFB -8, KLO -6, रावा नेशनल लिबरेशन फ्रंट -13, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-1, राष्ट्रीय संथाल लिबरेशन आर्मी -87, आदिवासी ड्रैगन फाइटर -17 और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बंगाली -301) ने आत्मसमर्पण किया और कुल 177 हथियार, 52 ग्रेनेड, 71 बम, 3 रॉकेट लॉन्चर, 306 डेटॉनेटर, 1.93 किग्रा विस्फोटक और 1686 जिंदा कारतूस उनके द्वारा जमा कराए गए।

- विभिन्न भूमिगत कार्बी समूहों के 1040 लीडर्स/कैडर (KPLT, KLNLF, PDCK, UPLA व KLF) ने गुवाहाटी में दिनांक 23.02.2021 को आत्मसमर्पण किया और कुल 338 हथियार (ए.के. सिरिज़-58, एम16-11, एल.एम.जी.-4 व अन्य 265) और 11,203 जिंदा कारतूस उनके द्वारा जमा कराए गए।

- गुवाहाटी में दिनांक 27.01.2022 को विभिन्न समूहों के कुल 708 भूमिगत कैडर [यूनाइटेड गोरखा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (UGPO-169), तिवा लिबरेशन आर्मी (TLA-77), राभा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (RNLF-28), आदिवासी ड्रैगन फाइटर (ADF-61), यूनाइटेड पीपुल्स रिवोल्यूशनरी फ्रंट (UPRF-29), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ बंगाली (NLFB-303) और नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी (NSLA-41)] ने भारी मात्रा में हथियारों और गोला-बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया।

- वर्तमान में संपूर्ण नागालैंड, असम, मणिपुर (इम्फाल नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर) और अरूणाचल प्रदेश राज्यों के कुछ जिलें/थाना क्षेत्र (तिराप, चांगलांग व लोंगडीग जिले तथा असम सीमा से सटे नामसाई जिले के दो थाना क्षेत्र) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA) के अधीन हैं। सुरक्षा स्थिति में सुधार होने के कारण, दिनांक 22.05.2015 से त्रिपुरा और दिनांक 01.04.2018 से मेघालय

राज्यों से AFSPA को पूर्णतया हटा दिया गया था। यह उल्लेखनीय है कि अरूणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी और लोहित जिलों के दो पुलिस थानों में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के कारण दिनांक 01.10.2021 से AFSPA का विस्तार नहीं किया गया है।

- पूर्वोत्तर राज्यों के कुल 16 विद्रोही संगठनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत "विधिविरुद्ध संगम" और/अथवा "आतंकवादी संगठन" घोषित किया गया है।

- केन्द्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में 20 पुलिस स्टेशनों के लिए पुलिस प्रतिष्ठानों के सुदृढ़ीकरण/निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 212.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। स्वीकृत राशि में से 95.25 करोड़ रुपये अरुणाचल प्रदेश राज्य को जारी कर दिए गए हैं।

II. करार/समझौते :

- मेघालय के ए.एन.वी.सी.(अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल) और ए.एन.वीसी./बी के साथ दिनांक 24.9.2014 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इन समूहों ने दिसंबर, 2014 में खुद को भंग कर लिया।

- एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दिनांक 3.8.2015 को नागालैंड के एनएससीएन/आईएम के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

- भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के श्री सबिर कुमार देबबर्मा (एनएलएफटी/एसडी) के नेतृत्व में समझौता ज्ञापन (एमओएस) पर दिनांक 10.08.2019 को हस्ताक्षर किए गए। परिणामस्वरूप, 13.08.2019 को आयोजित एक समर्पण समारोह में एनएलएफटी/एसडी के 88 कैडर ने 44 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार, त्रिपुरा के आदिवासियों के समग्र विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये का एक विशेष आर्थिक विकास पैकेज (SEDP) त्रिपुरा सरकार को दिया जाना हैं। त्रिपुरा को वित्त वर्ष 2020-21 में 100 रुपये में से 40 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

- भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार द्वारा ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 16.01.2020 को त्रिपुरा में 6,959 ब्रू परिवारों (37,136 व्यक्तियों) के पुनर्वास के लिए लगभग 661.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता/पैकेज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के अनुसार, प्रत्येक पुनर्वासित ब्रू परिवार को 30x40 वर्ग फुट भूमि और 1.5 लाख रुपये मकान निर्माण के लिए, सावधि जमा रु. 4 लाख, दो वर्ष के लिए रु. 5,000/- प्रति माह नकद सहायता और निःशुल्क राशन दिया जाएगा। त्रिपुरा में ब्रू के पुनर्वास में लगातार प्रगति हो रही है। कुल 19 चिन्हित स्थानों में से त्रिपुरा के तीन जिलों में 7 स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से पुनर्वास कार्य चल रहा है। अब तक 2228 परिवारों (6959 परिवारों में से) को 7 स्थानों पर बसाया गया है और 2231 परिवारों को गृह निर्माण सहायता दी गई है और 942 घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। सभी ब्रू लाभार्थियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

- लंबे समय से लंबित बोडो मुद्दे को हल करने के लिए भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 27.01.2020 को समझौता ज्ञापन (MoS) पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते के बाद एनडीएफबी समूहों के 1615 कैडर ने दिनांक 30.01.2020 को अपने हथियार आत्मसमर्पण कर दिए। NDFB समूहों ने 9-10 मार्च, 2020 को खुद को भंग कर लिया। समझौता ज्ञापन के अनुसार 1500 करोड़ का एक विशेष विकास पैकेज (SDP) (भारत सरकार, DoNER मंत्रालय द्वारा 750 करोड़ रुपये और असम सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपये) असम में बोडो क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए तीन साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।

- दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए भारत सरकार, असम सरकार और भूमिगत कार्बी समूहों (KLNLF, PDCK, UPLA, KPLT गुटों) के बीच दिनांक 4 सितंबर, 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। परिणामस्वरूप, कार्बी सशस्त्र समूहों के 1000 से अधिक कैडर हिंसा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। कार्बी क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार और असम सरकार द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का एक विशेष विकास पैकेज पांच वर्षों की समयावधि में दिया जाएगा।

II. अन्य :

- प्रेजीडेंसियल नोटिफिकेशन सं. S.O.3675(E) दिनांक 09.10.2019 द्वारा सिक्किम राज्य में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को अधिसूचित कर दिया गया था।

- पूर्वोत्तर राज्यों के सीमा विवाद की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 18.08.2020 के तहत अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया है जिसमें गृह मंत्रालय के JS स्तर के अधिकारी और संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल हैं। यह टीम पूर्वोत्तर राज्यों में विवादित क्षेत्रों/बेल्टस का दौरा करेगी व सीमा से संबंधित विवादों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

- पूर्वोत्तर राज्यों के सुरक्षा संबंधी मामलों सहित विभिन्न मामलों पर माननीय मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 24.07.2021 को शिलांग (मेघालय) में एक बैठक आयोजित की गई। . बैठक में DoNER और पर्यटन मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव और MHA के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।

- गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 26.12.2021 के तहत नागालैंड राज्य में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम की समीक्षा के लिए RG-CCI की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है।

*****